

In The Court of D.A.S.J. Ist-cum-Children Court, Jamui

Children case no. 03/2026

Sandeep Kumar vs. State of Bihar & other

10.06.2026

बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) का जबाव एवं किशोर न्याय परिषद (J.J.B) की प्रधान दंडाधिकारी मनीषा कुमारी का पत्रांक 720 दिनांक-09.06.2026 प्रस्तुत किया गया। अपीलकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता गोपाल साह ने इस कथन के साथ अपील वापस लेने का आवेदन दिया कि यह अपील तथ्य की भूल वश दाखिल हो गयी है। अतः अपीलार्थी यह अपील वापस लेना चाहता है।

उल्लेखनीय है कि यह अपील प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई के न्यायालय में प्रविष्ट (Admit) होने के पश्चात इस न्यायालय को अंतरित हुई थी। इस अपील में बिहार राज्य द्वारा किशोर न्याय परिषद (J.J.B) विपक्षी प्रथम पक्ष था तथा बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) द्वितीय पक्ष था। चूंकि यह अपील पूर्व से ही प्रविष्ट की जा चुकी थी। अतः विपक्षियों को नोटिस निर्गत होना स्वाभाविक था।

उल्लेखनीय है कि किशोर न्याय परिषद (J.J.B) ने अपने उपरोक्त पत्रांक में सार रूप से यह कथन किया है कि किशोर न्याय परिषद अर्द्ध न्यायिक ईकाई (Quasi-judicial body) है। अतः न्यायिक कर्तव्यों के निर्वहन में पारित आदेश के लिए किशोर न्याय परिषद को पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए तथा बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) ने अपने जबाव में कथन किया है कि कथित किशोर सुमन कुमारी बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) के समक्ष कभी उपस्थित नहीं हुई और ना ही इस किशोर के संबंध में बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) को कोई सूचना है। बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) को गलत रूप से इसमें विपक्षी बनाया गया है।

यह अपील प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमुई के न्यायालय में दाखिल की गई थी, वहां से प्रवृष्टि होने के उपरांत इस बाल न्यायालय को अंतरित की गई थी। अतः अपीलकर्ता के अनुरोध पर विपक्षियों को नोटिस भेजना नियमानुरूप था। अतः विपक्षियों को नोटिस भेजी गई।

चूंकि अपीलकर्ता ने तथ्य की भूल के आधार पर अपील को दाखिल करने का कथन किया है एवं इस अपील को वापस लेने का अनुरोध किया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को अपील को वापस लेने के इस आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः वापसी के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम-सह-

बाल न्यायालय, जमुई।